

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम जमशेदपुर।

भूमि वापसी वाद संख्या :- 112/2022-23

राम बेसरा

—बनाम—

ज्योति मुनी मिंज

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई										
२७/०१/२०२२	<p>आवेदक राम बेसरा, पिता— रमौ शिकारी माझी, सा०—कुमकुम बरती, मानगो, अंचल—मानगो, जिला— पूर्वी सिंहभूम, से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी के लिए प्राप्त आवेदन पर छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अधीन इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। इस वाद में विपक्षी ज्योति मुनी मिंज, पिता—पिटु मिंज, सा०— समता नगर, मानगो, जमशेदपुर, जिला—पूर्वी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद की प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है—</p> <p><u>जमीन का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>वार्ड नं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकवा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अधिसूचित क्षेत्र मानगो</td><td>०९</td><td>३९८</td><td>८८६</td><td>२ कट्ठा १० धुर</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त भूमि पर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में मूल रूप में संलग्न है। अंचल अधिकारी, मानगो के द्वारा अपने प्रतिवेदन में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि हाल सर्वे के अनुसार मौजा— अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं०-०९, खाता सं०-३९८, प्लॉट नं०-८८६, रकवा— २ कट्ठा १० धुर खतियानी रैयत मनसा माझी, पिता— लवधर माझी के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी ज्योति मुनी मिंज, पिता—पिटु मिंज, सा०— समता नगर, मानगो, जमशेदपुर, जिला—पूर्वी सिंहभूम भूमि पर अवैध कब्जा में है। उक्त भूमि को विपक्षी के द्वारा दखल कब्जा किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक—०३.०१.२०२३ को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जो मूल रूप से अभिलेख में संलग्न है। विपक्षी के द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>That the petition filed by the Applicant u/s 71A of the C.N.T. Act and under the provision of the B.S.A.R. Act, 1969 is not maintainable either on point of law or on point of fact.</li> <li>That the petition filed by the Applicant is hopelessly time barred under the proviso of sub section 4A of section 46 of Chhota Nagpur Tenancy Act 1908.</li> <li>That the begs to submit that the Applicant should have filed the petition within 12 years from the date of transfer of the holding in question as required under the proviso of sub sec A4 of section 46 of the C.N.T. Act.</li> <li>That the transfer of the holding has taken place on 20.11.2002 as it has been shown in the Registered Sale Deed dt. 20.08.2002 vide Deed No 5888 Whereas the present case has been filed in the year 2022 i.e. after long 20 years being instigated by one Mahima Minz, the Sister-in-law of the O.P.</li> <li>That the case of the O.P. is that the O.P. who is a permanent Employee of Govt. of Jharkhand in the department of health. The O.P. out of her hearing purchased the piece of land in question which is the subject matter of the present proceeding from one Shikari Majhi, the father of the Applicant by virtue of a Registered Deed of sale dt. 20.11.02 vide deen no 5888. after having obtained permission from Ld. Dy. Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur in terms of Sec.46(1) of the proviso of 46 (a) of the C.N.T. Act.</li> <li>That it is absolutely false to state that the O.P. in contravention of Sec46 of the C.N.T. Act has purchased the piece of land under proceeding from Shikari Majhi now deceased well within the knowledge of the Applicant.</li> </ol>	मौजा	वार्ड नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकवा	अधिसूचित क्षेत्र मानगो	०९	३९८	८८६	२ कट्ठा १० धुर	
मौजा	वार्ड नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकवा								
अधिसूचित क्षेत्र मानगो	०९	३९८	८८६	२ कट्ठा १० धुर								

7. That the O.P. reserves her right to file all the documents in her support which would speak the truth.
8. That the O.P. begs to submit that after having purchased the piece of land under proceeding the O.P. has constructed a double storied building over the land under proceeding.
9. That in the meantime the brother of the O.P. namely Daniel Minz who was a police officer under govt. of Jharkhand retired from the service has married one Mahima Minz a divorcee at Jalpaiguri, West Bengal.
10. That Daniel Minz, the brother of the O.P. came back from W.B. and since he did not have any abobe at Jamshedpur requested the O.P. to let him of one portion of her house under proceeding on rent.
11. That the O.P. let him a portion of her house on rent. Meanwhile Daniel Minz, the brother of the O.P. and husband of Mahima Minz has died on 04.07.2021.
12. That after the death of Daniel Minz his widow Mahima Minz stopped making payment of rent to the O.P. the O.P. finding no out filed a case of eviction against Mahima Minz before the Ld. Rent Controller Vide HRC Eviction Case No-1541/22.
13. That Mahima Minz, the widow of Late Daniel Minz in order to grab the house of the O.P. has been adopting nefarious design against the O.P. by filling false cases against her.
14. That the present case has been brought by the Applicant being instigated by said Mahima Minz.

1. That the Applicant knows it very well that his father Shikari Majhi during his life time has disposed the land under proceeding having obtained permission from the Ld. Dy. Commissioner, East Singhbhum as required u/s 46 of the C.N.T. Act. The Applicant in connivance with each other has brought the present proceeding against the O.P. with all sorts of false allegations..

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं प्रस्तुत कागजातों तथा अंचल अधिकारी, मानगो के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का उभय पक्ष में क्रय-विक्रय से संबंधित आपसी विवाद प्रतीत होता है। प्रथम पक्ष के ओर से विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि के विक्रेता शिकारी माझी के अंगुठे के निशान के बिना अंतरण किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने केवाला पर लगाये गये अंगुठे के निशान को ही चुनौती दी है। जबकि विपक्षी(क्रेता) के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के पिता से ही वादग्रस्त भूमि को क्रय किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह वाद भू वापसी से संबंधित न होकर क्रय-विक्रय निमित पारित केवाला में लगाये गये अंगुठे के निशान की सत्यता पर है। फलस्वरूप इस वाद की कार्रवाई इस आशय के साथ समाप्त की जाती है कि विक्षुल्ल चाहे तो सक्षम न्यायालया जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त 27/01/2024

(अधिनियम के अंतर्गत)

लेखापित

उपायुक्त

(अधिनियम के अंतर्गत)